

RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION

D Block, Swasthya Bhawan, Tilak marg, C-scheme JAIPUR
Ph: 0141-2228066, Fax: 0141-2228065, email: rmsc@nic.in www.rmsc.nic.in

क्रमांक : RMSC/MD Cell/2013/2906

दिनांक : 28 / 06 / 2013

समस्त प्रिंसीपल एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज सम्बद्ध अस्पताल,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषय :- Short supply, Excess drugs & Near expiry drugs के समुचित प्रबन्धन हेतु
प्रतिमाह कार्यवाही रिपोर्ट भिजवाने के संबन्ध में निर्देश।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक एफ.04() / आरएमएससी / 2013 / 2351 दिनांक 15.05.2013

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत आरएमएससी द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाओं की संख्या व मात्रा में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। सामान्यतया औषधियों सम्बन्धित संस्थान की अनुमानित वार्षिक मांग के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। पर यह समझना आवश्यक है कि औषधियों की सप्लाई (Supply of drugs) एक दुधारी तलवार (Double edged sword) की तरह है जहां एक तरफ दवाओं की कमी (Short supply) रह जाती है वहीं दुसरी ओर कुछ दवाओं की अधिकता (Excess drugs) रहती है जो कुछ माह पश्चात अवधिपार तिथि के निकट दवा (Near expiry drugs) बन जाती है। अतः ऐसी व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है जिसमें औषधियों की न तो कमी हो, न अधिकता हो व कोई औषधि अवधिपार भी न हो और सभी दवाएं "आदर्श भण्डार मात्रा" (Optimum stock level) में रहें। इसके लिए औषधियों के क्रय (RMSC), भण्डारण (DDW & Hospital Substore), एवं उपभोग (Prescription by Doctors) में गहन समन्वय (Co-ordination) आवश्यक है। जिसमें कोई भी रोगी आवश्यक दवा से वंचित न रहे व कोई भी दवा अवधिपार भी न हो।

उपरोक्त की क्रियान्विति हेतु आपके संस्थान/जिले की निम्न औषधियों की सूची प्रतिमाह भेजी जाती रहेगी, जिस पर निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :-

S. No.	Type of list	Proposed action
1	List of drugs for short supply management	By local purchase or alternative prescription.
2	List of drugs for slow moving (excess) drug management.	By sensitizing doctors to utilize them in time.
3	List of drugs for near expiry drug management. (Expiring in 180 days)	By sensitizing doctors to utilize them in time.
4	List of drugs in danger zone. (Expiring in 60 days)	By instructing doctors to utilize them in time.

उपरोक्त सूचियां आपको प्रति माह की आखिरी तारीख को भेजी जाती रहेगी। उपरोक्त दवा सूचियों पर Item wise की गई कार्यवाही की सूचना (Only softcopy, not in PDF or scanned) प्रत्येक माह की 5 तारीख तक MPR के रूप में rmsc@nic.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना सुनिश्चित कराए। जिससे राजकीय संस्थान में आने वाले सभी मरीजों को आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हो सके, एवं कोई भी रोगी बिना दवा के ना रहे।

प्रबन्ध निदेशक (आरएमएससी)
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग